

## प्रेस नोट दिनांक-24.06.2025 जनपद प्रतापगढ़

### थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़

रानीगंज क्षेत्र में ट्रक से ब्रेक ड्रम चोरी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी का माल बरामद पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे अपराध विरोधी अभियान के अंतर्गत कार्यवाही की गई।

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा अभियुक्तों को थानाक्षेत्र रानीगंज के ग्राम खमपुर दूबेपट्टी के पास से गिरफ्तार किया गया। दिनांक 23.06.2025 को ग्राम पवारपुर, थाना देल्हूपुर निवासी वादी का नाज भट्टा, खमपुर दूबेपट्टी थाना रानीगंज पर खड़े उसके ट्रक से ब्रेक ड्रम चोरी हो गया था।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक- 23/06/2025 को सुबह को वादी निवासी ग्राम पवारपुर थाना देल्हूपुर की ट्रक, जो नाज भट्टा खमपुर दूबेपट्टी थाना रानीगंज प्रतापगढ़ पर खड़ी थी। वादी जब अपने ट्रक के पास सुबह आया तो देखा कि ट्रक से ब्रेक ड्रम चोरी हो गया। वादी द्वारा आरोप लगाया गया कि उक्त ब्रेक ड्रम को राजन उर्फ महेश गौतम S/O भाई लाल गौतम, सुरेश गौतम उर्फ छोटू S/O गुड्डू गौतम नि0 खमपुर दूबेपट्टी तथा महेश गौतम के रिश्तेदार दीपक गौतम ने मिलकर चुरा लिए हैं। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 200/25 धारा 303 (2) बीएनएस का बनाम 03 नामजद व्यक्तियों का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना रानीगंज श्री अर्जुन सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 शिवेंद्र यादव मय हमराह उ0नि0 अमित सिंह, हे0का0 अमरनाथ, हे0का0 शिवाजी, हे0का0 राजेश गुप्ता, का0 मनोज कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0स0 200/25 धारा 303 (2) बीएनएस थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वांछित 03 अभियुक्तों, 1. महेश गौतम उर्फ राजा पुत्र भाईलाल गौतम निवासी खमपुर दूबेपट्टी थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष, 2. सुरेश गौतम उर्फ छोटू गौतम पुत्र गुल्लू गौतम उम्र करीब 20 वर्ष निवासीगण खमपुर दूबेपट्टी थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़, 3. दीपक गौतम पुत्र रामकिशोर गौतम निवासी नजियापुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 39 वर्ष को थानाक्षेत्र रानीगंज के ग्राम खमपुर दूबेपट्टी के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से ट्रक के चुराए हुए ब्रेक ड्रम बरामद किये गये। बरामदगी के संबंध में अभियोग उपरोक्त में धारा 317(2) की बढोत्तरी की गई।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों से पूछताछ पर बताया कि सफेद रंग की नीली पट्टी की बोरी हम लोगों के पास रखी हुई है उसमें नाज भट्टा खमपुरदूबेपट्टी पर खड़े ट्रक से चोरी हुआ ब्रेक ड्रम है। जिसको हम तीनों लोगो मे मिलकर दिनांक 22/23.06.2025 की रात मे नाज भट्टा खमपुरदूबेपट्टी थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ पर खड़े ट्रक से ब्रेक ड्रम को चुरा लिये थे। उसी समय रात में ही चुराये हुए ब्रेक ड्रम को हम लोगों ने यही पीछे खेत मे छुपाकर रख दिये थे। जिसे अभी हम तीनों लोग लेकर बेचने जा रहे थे लेकिन पता नहीं कहा से आप लोगों को पता चल गया और आप लोगों ने हम लोगों को पकड

लिया। तब उक्त तीनों व्यक्तियों के पास रखे हुए एक सफेद रंग की नीली पट्टी की बोरी को खुलवाकर देखा गया तो उसमें ट्रक के ब्रेक ड्रम बरामद हुआ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. महेश गौतम उर्फ राजा पुत्र भाईलाल गौतम निवासी खमपुर दूबेपट्टी थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष।
2. सुरेश गौतम उर्फ छोटू गौतम पुत्र गुल्लू गौतम उम्र करीब 20 वर्ष निवासीगण खमपुर दूबेपट्टी थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।
3. दीपक गौतम पुत्र रामकिशोर गौतम निवासी नजियापुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 39 वर्ष।

पुलिस टीम-

उ0नि0 शिवेंद्र यादव मय हमराह उ0नि0 अमित सिंह, हे0का0 अमरनाथ, हे0का0 शिवाजी, हे0का0 राजेश गुप्ता, का0 मनोज कुमार थाना रानीगंज प्रतापगढ़।

### **थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़**

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा दुष्कर्म, धमकी, के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र के नरसिंह गढपुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में थाना रानीगंज प्रभारी निरीक्षक श्री अर्जुन सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 अमित कुमार सिंह मय हमराह हे0का0 अमर नाथ यादव, का0 मनोज द्वारा दिनांक 24.06.2025 को देखभाल क्षेत्र/संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 69/352/351 (3) बी0एन0एस0 थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त मो0 सगीर पुत्र निजामुद्दीन उम्र करीब 42 वर्ष नि0 ग्राम नरसिंह गढ़ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र के नरसिंह गढपुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. मो0 सगीर पुत्र निजामुद्दीन उम्र करीब 42 वर्ष नि0 ग्राम नरसिंह गढ़ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अमित कुमार सिंह मय हमराह हे0का0 अमर नाथ यादव, का0 मनोज थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

### **थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़**

फायरिंग व जानलेवा हमले के प्रकरण में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना उदयपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत थाना क्षेत्रान्तर्गत अठेहा तिराहे मन्दिर के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 23.06.2025 को आरोपीगणों द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर एक राय होकर व कट्टा-बन्दूक लेकर वादी व उसके परिजनों रास्ता रोककर गाली- गलौज करते हुए मारना-पीटना व जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई, जिससे चोट आना व तथा मार-पीट के दौरान हाथ तोड़ देना, कट्टा से फायर करते हुए दहशत फैलाना तथा जान से मारने की धमकी की गई। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 95/25 धारा 126(2)/191(2)/191(3)/190/109(1)/117(2)/115(2)/352/351(3)/288 बीएनएस बनाम 12 नामजद व्यक्ति व 07-08 अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के कुशल निर्देशन में नामजद व अज्ञात अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर पर टीमें गठित की गईं। गठित टीमों द्वारा तकनीकी साक्ष्य, सर्विलांस विश्लेषण, सीसीटीवी फुटेज एवं खुफिया सूचना के आधार पर संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश जा रही थी। साथ ही घटना से जुड़े व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित करने हेतु संदिग्ध स्थलों पर सघन चेकिंग व तलाशी अभियान भी चलाया गया।

इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी उदयपुर श्री राधेश्याम मय हमराह उ0नि0 श्री राजेश शुक्ला मय हमराह का0 अनिल कुमार व का0 जुगेन्द्र प्रताप सिंह, का0 राहुल प्रताप सिंह, का0 विधिचन्द्र द्वारा दिनांक 24.06.2025 को देखभाल क्षेत्र/संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 95/25 धारा 126(2)/191(2)/191(3)/190/109(1)/117(2)/115(2)/352/351(3)/288 बीएनएस से संबंधित वांछित 02 अभियुक्तों, 1. वीरभान सिंह पुत्र रामपियारे सिंह नि0ग्रा0 जरियारी थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 50 वर्ष 2. विनय सिंह पुत्र केशव सिंह नि0ग्रा0 जरियारी थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 39 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत अठेहा तिराहे मन्दिर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. वीरभान सिंह पुत्र रामपियारे सिंह नि0ग्रा0 जरियारी थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 50 वर्ष।
02. विनय सिंह पुत्र केशव सिंह नि0ग्रा0 जरियारी थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 39 वर्ष।

पुलिस टीम-

थाना प्रभारी उदयपुर श्री राधेश्याम मय हमराह उ0नि0 श्री राजेश शुक्ला मय हमराह का0 अनिल कुमार व का0 जुगेन्द्र प्रताप सिंह, का0 राहुल प्रताप सिंह, का0 विधिचन्द्र थाना उदयपुर प्रतापगढ़।

### **थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़**

पुरानी रंजिश में जानलेवा हमले के वांछित 01 अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त बांस का डंडा बरामद

थाना उदयपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत बापू इण्टर कालेज रेहुआलालगंज के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त पर जनपद प्रतापगढ़ पर हत्या का प्रयास, मारपीट, धमकी जैसे कुल 04 संगीन अपराध दर्ज है-

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 22.06.25 को आरोपीगण द्वारा एक राय होकर पुरानी रंजिश को लेकर को लेकर लाठी-डण्डा व राड़ लेकर जान से मारने की नियत से वादी के भाई को मारना पीटना, जिससे शरीर में काफी चोट आना व बेहोश हो जाना व जान से मारने की धमकी दी गई। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 94/25 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/115(2)/351(3) बीएनएस बनाम 05 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी उदयपुर श्री राधेश्याम के नेतृत्व में उ0नि0 श्री घनश्याम यादव हमराह का0 विधिचन्द्र द्वारा दिनांक 24.06.2025 को देखभाल क्षेत्र/संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 94/25 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/115(2)/351(3) बीएनएस से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त विवेक शुक्ल पुत्र भूपनाथ शुक्ल उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम बल्दी का पुरवा मजरे रेहुआलालगंज थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ को घटना में प्रयुक्त 01 अदद बांस के डण्डा के साथ थानाक्षेत्र के बापू इण्टर कालेज रेहुआलालगंज के पास से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त से पूछताछ पर बरामद डण्डा के संबंध बताया कि घटना कारित करने के बाद उस डंडे को पास ही के नहर की पटरी पर फेक दिया था। चल कर उसे बरामद करा सकता हूं। अभियुक्त विवेक शुक्ला की निशानदेही पर शिव चरन तिवारी का पुरवा जाने वाली नहर की पटरी पर से 01 डंडा बांस का उठाकर दिया, जिससे मैंने वादी के भाई के ऊपर जान से मारने की नियत से हमला किया था। साथ ही घटना कारित करने में तरुण शुक्ल पुत्र राजेन्द्र शुक्ल, शिवम तिवारी पुत्र गिरजाशंकर तिवारी, विवेक सिंह पुत्र मुन्ना सिंह, दानबहादुर कोरी पुत्र बृजलाल कोरी भी थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

विवेक शुक्ल पुत्र भूपनाथ शुक्ल उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम बल्दी का पुरवा मजरे रेहुआलालगंज थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त विवेक शुक्ल पुत्र भूपनाथ शुक्ल उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम बल्दी का पुरवा मजरे रेहुआलालगंज थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 160/2024 धारा 109/191(2)/191(3)/115(2)/351(2)/352/324(4) बीएनएस थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

02. मु0अ0सं0 0064/2025 धारा 191(2)/115(2)/352/351(3)/117(2) बीएनएस थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

03. मु0अ0सं0 0094/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/115(2)/351(3) बीएनएस थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

04. मु0अ0सं0 93/25 धारा 191(2)/352/351(3) बीएनएस थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़

बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त 01 अदद बांस का डण्डा बरामद।

पुलिस टीम-

उ0नि0 श्री घनश्याम यादव हमराह का0 विधिचन्द्र थाना उदयपुर प्रतापगढ़।

### **थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़**

अवैध गांजा के साथ 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार- पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में थाना फतनपुर पुलिस ने की कड़ी कार्यवाही।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 05.00 कि0ग्रा0 अवैध गांजा के साथ थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम परसामऊ अमरई मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया है-

अभियुक्त पर जनपद प्रतापगढ़ में लूट, डकैती, चोरी, हत्या का प्रयास, छेड़खानी, गुण्डा एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, मार-पीट, जान से मारने की धमकी, एससी/एसटी एक्ट जैसे संगीन कुल 29 अपराध दर्ज हैं-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी फतनपुर श्री राजेन्द्र त्रिपाठी के नेतृत्व में थाना फतनपुर के उ0नि0 दिलीप कुमार वर्मा मय हमराह उ0नि0 अतुल कुमार यादव, हे0का0 शिवानन्द यादव व का0 आशुतोष तिवारी द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, चेकिंग के दौरान, मुंखबिर की सूचना पर थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम परसामऊ अमरई मोड़ के पास से 01 अभियुक्त अखिलेश कुमार पाण्डेय उर्फ मनोज पाण्डेय पुत्र जैनेन्द्रमणि पाण्डेय उम्र 47 वर्ष निवासी ग्राम अमरई थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ को कुल 05.00 कि0ग्रा0 अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से कुल 05.00 कि0ग्रा0 अवैध गांजा बरामद किया गया। उक्त बरामदगी/ गिरफ्तारी के आधार पर थाना फतनपुर पर मु0अ0सं0 129/2025 धारा 8/20 NDPS का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अखिलेश कुमार पाण्डेय उर्फ मनोज पाण्डेय पुत्र जैनेन्द्रमणि पाण्डेय उम्र 47 वर्ष निवासी ग्राम अमरई थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त अखिलेश कुमार पाण्डेय उर्फ मनोज पाण्डेय पुत्र जैनेन्द्रमणि पाण्डेय निवासी अमरई थाना फतनपुर, प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 91A/99 धारा 323/504/506 IPC व 3(1)10 SC/ST Act. थाना फतनपुर, प्रतापगढ़।

2. मु0अ0सं0 59/08 धारा 307/323/504/506/427/452 IPC थाना फतनपुर, प्रतापगढ़ ।
3. मु0अ0सं0 123/08 धारा 324/323/504/506 IPC थाना फतनपुर, प्रतापगढ़ ।
4. मु0अ0सं0 144/08 धारा 3(1) उ0प्र0 गुण्डा एक्ट थाना फतनपुर, प्रतापगढ़ ।
5. मु0अ0सं0 157/08 धारा 452/323/504/506/379 IPC थाना फतनपुर, प्रतापगढ़ ।
6. मु0अ0सं0 174/08 धारा 147/323/504/506/352 IPC थाना फतनपुर, प्रतापगढ़ ।
7. मु0अ0सं0 15/09 धारा 147/148/452/308/323/504/506 IPC थाना फतनपुर, प्रतापगढ़ ।
8. मु0अ0सं0 17/09 धारा 25 A. Act थाना फतनपुर, प्रतापगढ़ ।
9. मु0अ0सं0 146/09 धारा 110 G. Crpc थाना फतनपुर, प्रतापगढ़ ।
10. मु0अ0सं0 10/10 धारा 147/323/324/504/506 IPC व 3(1)10 SC/ST Act. थाना फतनपुर, प्रतापगढ़ ।
11. मु0अ0सं0 148/10 धारा 147/148/149/323/504/506/427 IPC थाना फतनपुर, प्रतापगढ़ ।
12. मु0अ0सं0 280/10 धारा 147/148/149/307/325/323/504/506/356 IPC 3(2)V SC/ST Act. थाना फतनपुर, प्रतापगढ़ ।
13. मु0अ0सं0 70/12 धारा 147/148/323/504/506/427 IPC व 3(1)10 SC/ST Act. थाना फतनपुर, प्रतापगढ़ ।
14. मु0अ0सं0 127/12 धारा 395/397 IPC थाना फतनपुर, प्रतापगढ़ ।
15. मु0अ0सं0 54/13 धारा 147/148/324/504/506 IPC थाना फतनपुर, प्रतापगढ़ ।
16. मु0अ0सं0 93/13 धारा 110G Crpc. थाना फतनपुर, प्रतापगढ़ ।
17. मु0अ0सं0 203/13 धारा 147/148/323/324/307/504/506/427 IPC थाना फतनपुर, प्रतापगढ़ ।
18. मु0अ0सं0 249/13 धारा 147/148/452/394/307/436/325/504/506/427 IPC थाना फतनपुर, प्रतापगढ़ ।
19. मु0अ0सं0 63/14 धारा 3(1) उ0प्र0 गुण्डा एक्ट थाना फतनपुर, प्रतापगढ़ ।
20. मु0अ0सं0 141/14 धारा 147/323/504/506 IPC थाना फतनपुर, प्रतापगढ़ ।
21. मु0अ0सं0 218/14 धारा 323/504/354B/395/427 IPC थाना फतनपुर, प्रतापगढ़ ।
22. मु0अ0सं0 96/15 धारा 147/148/149/323/504/506/452/427/395 IPC थाना फतनपुर, प्रतापगढ़ ।
23. मु0अ0सं0 176/17 धारा 323/504/506 IPC थाना फतनपुर, प्रतापगढ़ ।
24. मु0अ0सं0 265/17 धारा 147/148/149/307/323/325/427/504/506/379 IPC थाना फतनपुर, प्रतापगढ़ ।
25. मु0अ0सं0 93/20 धारा 147,148,323,504,506,427,325 भादवि व 3(1)द,ध,3(2)5क एससी/एसटी एक्ट थाना फतनपुर, प्रतापगढ़ ।
26. मु0अ0सं0 223/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट. थाना फतनपुर, प्रतापगढ़ ।
27. मु0अ0सं0 100/24 धारा 307 IPC व 3/25/27 A Act. थाना फतनपुर, प्रतापगढ़ ।
28. मु0अ0सं0 47/25 धारा 115(2)/352/351(3)/324(4) BNS थाना फतनपुर, प्रतापगढ़ ।
29. मु0अ0सं0 129/2025 धारा 8/20 NDPS थाना फतनपुर, प्रतापगढ़ ।

बरामदगी-

कुल 05.00 कि0ग्रा0 अवैध गांजा बरामद ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

उ0नि0 दिलीप कुमार वर्मा मय हमराह उ0नि0 अतुल कुमार यादव, हे0का0 शिवानन्द यादव व का0 आशुतोष तिवारी थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

## थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा अपहरण, दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 02 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र के करंटी मोड के पास से गिरफ्तार किया गया ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना मानिकपुर प्रभारी निरीक्षक श्री दीप नारायण के नेतृत्व में व०उ०नि० मय हमराह उ०नि० देवीदीन बुन्देला, का० प्रवीन रावत, का० रामलखन का० रामदेव गौतम, का० शिवशंकर यादव द्वारा दिनांक 24.06.2025 को देखभाल क्षेत्र/संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 137 (2), 70 (2), 351 (3) बी०एन०एस० व 5 (g)/6 पाक्सो एक्ट थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 02 वांछित अभियुक्तों, 1. मोहम्मद तहरीम उर्फ समीर पुत्र मो० सलीम उम्र करीब 23 वर्ष, 2. मोहम्मद कैफ पुत्र मो० रहीश उम्र करीब 19 वर्ष निवासीगण मदार का पुरवा मिरिया थाना मानिकपुर प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र के करंटी मोड के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. मोहम्मद तहरीम उर्फ समीर पुत्र मो० सलीम उम्र करीब 23 वर्ष,
2. मोहम्मद कैफ पुत्र मो० रहीश उम्र करीब 19 वर्ष निवासीगण मदार का पुरवा मिरिया थाना मानिकपुर प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम का विवरण-

व०उ०नि० मय हमराह उ०नि० देवीदीन बुन्देला, का० प्रवीन रावत, का० रामलखन का० रामदेव गौतम, का० शिवशंकर यादव थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ ।